(b if so, what are the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited have submitted a proposal for 1st stage clearance to prepare a Detailed Feasibility Report for laying a product pipeline from their Vizag refinery to Vijayawada converting a distance of about 365 kilometers. The same is being processed.

(c) Does not arise.

परती भमि को हरियालीयक्त भूमि में परिवर्तित किया जाना

*571. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परती भूमि को हरियाली में परिवर्तित करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार की क्या योजना है और इस योजना के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सड़क सुरक्षा समितियां

*572. **श्री अजीत जोगी** :

चौधरी हरि सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रसायनों की ढुलाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिये राज्य अथवा जिला स्तर पर कोई सड़क सुरक्षा समितियां गठित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन रसायनों की ढुलाई करने वाले वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215(2) और (3) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों ने सड़क-सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने और सलाह देने के लिए राज्य और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियां गठित की हैं। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न रसायनों की ढलाई करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई विशिष्ट समिति गठित नहीं की है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 9 में संशोधन किया जा रहा है ताकि खतरनाक किस्म के अथवा जोखिम वाले माल ढोने वाले वाहनों के चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा सके। इस नियम का मसौदा दिनांक 13 मई, 1992 के, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-3, उपखण्ड-(1) में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।